



CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE, AVIKANAGAR

केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर

TEHSIL MALPURA, DISTT. TONK, RAJASTHAN 304 501 (INDIA)

तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान 304501 (भारत)



पंजीकृत

दिनांक 09.09.2014

क्रमांक : 6(108)एसपी/05/Vol.I/

निमित्त-

मैसर्स -----

विषय: संस्थान के स्लाटर/वध किये हुए जानवरों (भेड़, मेढ़ा, बकरा, बकरी) का मांस तथा अन्य अंग आदि उठाने से सम्बन्धित कार्य को वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर करवाने हेतु अल्पकालीन लिमिटेड टेण्डर/कोटेशन आमंत्रित करने बाबत ।

महोदय,

संस्थान के मांस विज्ञान अनुभाग में स्लाटर/वध किये हुए जानवरों भेड़, मेढ़ा, बकरा, बकरी का मांस व अन्य अंग उठाने/निस्तारण वित्त वर्ष 2014-15 के लिये वार्षिक कार्य अनुबंध के आधार पर कोन्ट्रक्ट/टेके के आधार पर पर करने हेतु संबंधित टेकेदारों/फर्मों से उचित एवं उच्चतम दरें प्रस्तुत करने हेतु लिमिटेड टेण्डर/कोटेशन आमन्त्रित किये जाते हैं। अतः संबंधित फर्म प्रतिनिधि/टेकेदार निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अनुसार उक्त प्रयोजनार्थ दिनांक 24.09.2014 तक कोटेशन प्रस्तुत कर सकते हैं। संस्थान द्वारा जारी लिमिटेड टेण्डर/कोटेशन सूचना की जानकारी संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

संस्थान के स्लाटर/वध किये हुए जानवरों (भेड़, मेढ़ा, बकरा, बकरी) का मांस तथा अन्य अंग आदि उठाने से सम्बन्धित कार्य को वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर करने की नियम एवं शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

1. निविदा इस संस्थान द्वारा जारी प्रदत्त निविदा/कोटेशन प्रपत्र पर ही स्वीकार की जायेगी। सशर्त एवं ईमेल द्वारा भेजी गई तथा देरी से प्राप्त होने वाली निविदाएँ/कोटेशन स्वीकार नहीं की जायेगी। कोटेशनदाता को कोटेशन के साथ पेन कार्ड नं. अंकित करते हुए उसकी फोटो प्रति संलग्न करना अनिवार्य है, इसके बिना निविदा/कोटेशन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
2. स्लाटर/वध किये हुये जानवरों (भेड़, मेढ़ा, बकरा, बकरी) का मांस तथा अन्य अंग आदि की उचित एवं उच्चतम दरें ही स्वीकार की जायेगी।
3. निविदा/कोटेशनदाता को निविदा प्रपत्र के साथ रु. 5,000/- अक्षरे पाँच हजार रुपये मात्र अमानत राशि के रूप में नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. के माध्यम से इस संस्थान के पक्ष में जो कि ICAR UNIT CSWRI, Avikanagar (Malpura) के नाम SBBJ Malpura branch (10088) में देय हो के रूप में जमा कराना होगा। बिना अमानत राशि के कोई भी निविदा/कोटेशन स्वीकार नहीं किया जावेगा। निविदा/कोटेशन के साथ जमा कराई गई अमानत राशि सफल निविदादाता को जमानत राशी जमा कराने तथा कार्य आदेश जारी करने के बाद नियमानुसार लौटाई जायेगी। सफल निविदादाता को कार्य आदेश जारी करने से पूर्व जमानत राशि रु. 5,000/- अक्षरे पांच हजार रुपये मात्र डिमान्ड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. के माध्यम से जमा करानी होगी अन्यथा निविदा के साथ जमा कराई गई अमानत राशि जब्त करली जायेगी।
4. संस्थान के किसी कार्य में टेकेदार एवं उसके प्रतिनिधि की ओर से किसी भी तरह का व्यवधान या नुकसान होने पर अनुबंध को निश्चित समय अवधि से पूर्व समाप्त किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में अमानत/जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
5. टेकेदार एवं उसके प्रतिनिधि को संस्थान के अधिकारी/कर्मचारियों के साथ शिष्टता पूर्वक व्यवहार रखना होगा अन्यथा टेका समयावधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है।
6. जानवरों के वध के समय जानवरों की चमड़ी उतारने का कार्य एवं पेट, आंते धोने का कार्य टेकेदार को ही करना होगा।
7. मांस प्रयोगशाला के द्वारा बेचा गया और टेकेदार के पास बचा हुआ कोई भी मांस इत्यादि प्रयोगशाला/अनुभाग में डिफ्रिज में नहीं रखा जायेगा। टेकेदार द्वारा उठाये गये मांस इत्यादि उसी दिन ले जाना होगा।
8. जानवरों का वध कार्यालय समय में कभी भी किया जा सकता है एवं जरूरत होने पर अवकाश के दिन भी किया जा सकता है। जानवरों के वध की संख्या जानवरों के प्रायोगिक वैज्ञानिक के द्वारा एवं अनुभाग के वैज्ञानिक एवं प्रभारी के द्वारा ही तय किया जायेगा।
9. वध किये गये जानवरों का मांस, चमड़ी एवं अन्य अंग उसी दिन नगद भुगतान करके उठाना होगा। इस सम्बंध में जानवरों के वध करने की तिथि संबंधित प्रभारी मांस विज्ञान अनुभाग से स्वयं टेकेदार को ही मालूम करनी होगी। सामान/माल समय पर नहीं उठाने पर जो भी नुकसान होगा उसका हर्जाना स्वयं टेकेदार को नगद जमा कराना होगा अन्यथा हर्जाने की राशि जमानत राशि में से काट ली जायेगी।

10. टेकेदार की ओर से या उनके प्रतिनिधि द्वारा टेके के दौरान संस्थान की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी टेकेदार की होगी तथा नुकसान की भरपाई टेकेदार को नगद जमा करनी होगी। इस सम्बंध में संस्थान के निदेशक महोदय का निर्णय ही अन्तिम होगा एवं टेकेदार को मान्य होगा।
11. टेकेदार द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि/जमानत राशि का भूगतान अनुबन्ध की समय अवधि संतोषप्रद पूर्ण होने के बाद ही लोटाई जायेगी।
12. कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने की दशा में टेकेदार की जमा अमानत राशि/जमानत राशि को जप्त करत हुए अनुबंध को निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं टेकेदार की होगी।
13. संस्थान के निदेशक महोदय के पास बिना कोई कारण बताये किसी एक अथवा सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार पूर्ण रूप से सुरक्षित है।
14. निविदा निदेशक महोदय, अतिकानगर के नाम बन्द लिफाफे में होनी चाहिए तथा उसके ऊपर स्लाटर/वध किये हुए जानवरों (भेड़, मेढा, बकरा, बकरी) का मांस, अन्य अंग आदि उटाने का अनुबन्ध पत्रावली क्रमांक 6(108)एसपी/2005/भाग –प्रथम एवं अंतिम तिथि दिनांक 24.09.2014 स्पष्ट अक्षरों में अंकित होना चाहिए।

भवदीय

(आर. ए. साहू)
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

मैंने उपरोक्त नियम एवं शर्तों को पढकर अच्छी तरह समझ लिया है तथा सभी नियम व शर्तें मुझे मान्य/स्वीकार है।

हस्ताक्षर निविदादाता
निविदादाता का नाम
पूरा पता
पेन कार्ड नं०

संलग्नक : 1. पेन कार्ड की प्रतिलिपि
2. 5000 रुपये डी.डी./एफ.डी.आर.

Tel.No. 01437-2201162, 220164, 220177
Fax No. 01437-220163



CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE, AVIKANAGAR
केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
TEHSIL MALPURA, DISTT. TONK, RAJASTHAN 304 501 (INDIA)
तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान 304501 (भारत)



Registered

क्रमांक : 6(108)एसपी/05/Vol.I/

दिनांक 09.09.2014

अल्पकालीन लिमिटेड टेण्डर/कोटेशन प्रपत्र

1. भरे हुये कोटेशन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि एवं समय : दिनांक 24.09.2014 दोपहर 1.00बजे तक
2. कोटेशन खोलने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 24.09.2014 दोपहर बाद 3.00बजे तक
3. अमानत राशि : 5,000/- रूपये
4. कोटेशन की मान्य अवधि : 120 दिन

संस्थान के स्लाटर/वध किये हुए जानवरों (भेड़, मेढ़ा, बकरा, बकरी) का मांस तथा अन्य अंग आदि उटाने से सम्बन्धित कार्य विवरण-

क्र. सं.	सामान का विवरण	जानवर का नाम	प्रति किग्रा. /नग/सेट	दर प्रति किग्रा. /नग/सेट अंको व शब्दों में
1.	हड्डी सहित मांस (तीन वर्ष तक)	भेड़, मेढ़ा	प्रति किलोग्राम	
2.	हड्डी सहित मांस (तीन वर्ष तक)	बकरा, बकरी	प्रति किलोग्राम	
3.	बिना हड्डी मांस (तीन वर्ष वाले)	भेड़, मेढ़ा	प्रति किलोग्राम	
4.	बिना हड्डी मांस (तीन वर्ष वाले)	बकरा, बकरी	प्रति किलोग्राम	
5.	आफल्स, फ़ैफ़ड़ा, तिल्ली, चर्बी, अंडकोष, (गुर्दा इत्यादि)	भेड़, मेढ़ा	प्रति किलोग्राम	
6.	आफल्स, फ़ैफ़ड़ा, तिल्ली, चर्बी, अंडकोष, गुर्दा इत्यादि)	बकरा, बकरी	प्रति किलोग्राम	
7.	सिर व खुर (सभी उम्र वाले)	भेड़, मेढ़ा	प्रति सेट	
8.	सिर व खुर (सभी उम्र वाले)	बकरा, बकरी	प्रति सेट	
9.	पेट व आँते (सभी उम्र वाले)	भेड़, मेढ़ा	प्रति सेट	
10.	पेट व आँते (सभी उम्र वाले)	बकरा, बकरी	प्रति सेट	
11.	बड़ी खाल ऊन सहित (जिन्दा 20 किग्रा. से ऊपर जानवर)	भेड़, मेढ़ा	प्रति नग	
12.	बड़ी खाल ऊन रहित (जिन्दा 20 किग्रा. से ऊपर जानवर)	भेड़, मेढ़ा	प्रति नग	
13.	छोटी खाल ऊन सहित (जिन्दा 20 किग्रा. से ऊपर जानवर)	भेड़, मेढ़ा	प्रति नग	
14.	छोटी खाल ऊन रहित (जिन्दा 20 किग्रा. से ऊपर जानवर)	भेड़, मेढ़ा	प्रति नग	
15.	बड़ी खाल (छः माह, छः माह से ऊपर)	बकरा, बकरी	प्रति नग	
16.	छोटी खाल (छः माह से नीचे वाले)	बकरा, बकरी	प्रति नग	
17.	अगर किसी जानवर का सिर व खुर काटकर या अन्दर के किसी पार्ट को नमूना के लिए निकाला जाता है	भेड़, मेढ़ा, बकरा, बकरी	प्रति नग	

18.	अगर अच्छी तरह से हड्डी का मांस, चर्बी हटा दिया जाता है तो हड्डी की कीमत	भेड़, मेढ़ा, बकरा, बकरी	प्रति किलोग्राम	
तीन वर्ष से 5 वर्ष तक के जानवरों का विवरण				
19.	हड्डी सहित मांस (प्रायोगिक, अप्रायोगिक किसी तरह का जानवर)	भेड़, मेढ़ा	प्रति किलोग्राम	
20.	हड्डी सहित मांस (प्रायोगिक, अप्रायोगिक किसी तरह का जानवर)	बकरा, बकरी	प्रति किलोग्राम	
21.	बिना हड्डी मांस	भेड़, मेढ़ा, बकरा, बकरी	प्रति किलोग्राम	
5 वर्ष से ऊपर वाले जानवरों का विवरण				
22.	हड्डी सहित मांस (प्रायोगिक या अप्रायोगिक किसी तरह के भी जानवर)	भेड़, मेढ़ा	प्रति किलोग्राम	
23.	हड्डी सहित मांस (प्रायोगिक या अप्रायोगिक किसी तरह के भी जानवर)	बकरा, बकरी	प्रति किलोग्राम	
24.	बिना हड्डी मांस	भेड़, मेढ़ा, बकरा, बकरी	प्रति किलोग्राम	

.....
हस्ताक्षर निविदादाता

नोट :

1. अनुबन्धकर्ता/ठेकेदार को मांस बोटी करके पैक कर उपलब्ध कराया जाएगा।
2. अनुबन्ध की अवधि आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए होगी।
3. जानवरों के वध के समय वध की गई चमड़ी उतारने एवं आँत, पेट इत्यादि को धोने का कार्य ठेकेदार को करना होगा।
4. कोटेशन प्रपत्र में दर्शाये गये आईटम क्रम संख्या 5 से लेकर 18 तक का 3 से 5 वर्ष एवं 5 वर्ष से ऊपर तक के जानवरों की दर वही/समान होगी।
5. जानवरों के वध की संख्या प्रायोगिक वैज्ञानिक के द्वारा एवं अनुभाग के वैज्ञानिक एवं प्रभारी के द्वारा तय की जावेगी।
6. वध करने का कोई भी समय निश्चित नहीं होगा तथा वध अवकाश के दिन भी हो सकता है।
7. ठेकेदार के द्वारा बेचे गये मांस इत्यादि को अनुभाग के फ्रिज या डिफ्रिज में नहीं रखा जायेगा। अगर कुछ सामान बच भी जाता तो अनुभाग में नहीं रखा जायेगा।
8. दर अंको व शब्दों में प्रस्तुत करनी है। प्रस्तुत दर आदि में किसी प्रकार की काँट-छाँट नहीं होनी चाहिए। यदि किसी प्रकार की काँट-छाँट होती है तो काँट-छाँट पर कोटेशनदाता को हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निविदा/कोटेशन में दर्शायी गई सभी नियम व शर्तें भली-भाँति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। साथ ही मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्र-पत्र में दर्शाये गये सभी कार्यों का पूर्ण ज्ञान है।

मैं यह वचन देता हूँ की मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों/मानव शक्तियों की मजदूरी का भुगतान समय-2 पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूंगा। यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली-भाँति है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप उच्चतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं हैं तथा सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य है। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब-कोन्ट्रैक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मैं संस्थान के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही करूंगा।

हस्ताक्षर निविदादाता
निविदादाता का नाम
पूरा पता
पेन कार्ड नं0

